

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

सेवा में

महानिदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

यादी क0 टी-9/न्यू आई0टी0आई/2015-16/गैस्ट क्लासिज्/प्रशि0/1729
दिनांक: 9.10.15

विषय :- अतिथि कक्षाएं घोषित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय प्रस्ताव 4324-DGIT दिनांक 29.9.14 के सन्दर्भ में।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कादमा जिला भिवानी को सत्र 2015-16 से आरम्भ करते
हुए आगामी आदेशों तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कलाली-बलाली जिला भिवानी की अतिथि
कक्षाएं घोषित की जाती है।

अधीक्षक (औद्योगिक प्रशिक्षण),
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

निदेशालय औद्योगिक प्रशिक्षण, हरियाणा, चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क0 टी-9/न्यू आई0टी0आई/2015-16/गैस्ट क्लासिज्/प्रशि0/1782 दिनांक: 21/10/15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. उपायुक्त, भिवानी
2. निदेशालय पर कार्यरत सभी अधिकारी (सिवाय महानिदेशक)
3. नोडल अधिकारी वैबसाईट। विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवानी, कलाली-बलाली तथा कादमा।
5. खजाना अधिकारी, भिवानी .
6. पी0एस0/पी0एस0आई0टी0।
7. पी0ए0/डी0जी0आई0टी0।
8. उप-अधीक्षक (प्रेषण अनुभाग)
9. सरपंच, ग्राम पंचायत, कादमा जिला भिवानी
10. टी-6 (प्रशिक्षण अनुभाग)

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-5), 15/10
कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा